रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 862] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 12, 2007/आषाढ़ 21, 1929
No. 862] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 12, 2007/ASADHA 21, 1929

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2007

का.आ. 1134(अ).—केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश कहा गया है) का गठन करती है जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित तीन सदस्य अर्थात् अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव समाविष्ट होंगे जो निम्नलिखित हैं :–

1. प्रोफेसर मुकेश शर्मा, — अध्यक्ष, पर्यावरण गुणवत्ता
   प्रोफेसर, सिविल इंजीनियरिंग विभाग,
   आई आई टी कानपुर, कानपुर-208016

2. डॉ. कुंवर पाल सिंह, — सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया और पर्यावरण गुणता
   वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष,
   पर्यावरणीय रसायन प्रभाग, औद्योगिक विष
   विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, पोस्ट बाक्स संख्या 80,
   एम जी मार्ग, लखनऊ

3. डॉ. सी. एस. भट्ट, — सदस्य सचिव,
   सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
   पिकअप भवन, तृतीय तल,
   विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

2. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी ।

3. प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाए ।

4. प्राधिकरण उत्तर प्रदेश इस आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस ई ए सी) की सिफारिशों के आधार पर अपने निर्णय देगी ।

5. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार प्राधिकरण के सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए अभिकरण को अधिसूचित करेगा और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी । प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य को बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार संदत्त होगा ।

6. उक्त प्राधिकरण की सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से परामर्श करके राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, उत्तर प्रदेश का गठन करती है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् एस ई ए सी कहा गया है) जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे :—

1. डॉ. एस. के. भार्गव, उपनिदेशक और विभागाध्यक्ष, पर्यावरण मानीटरिंग प्रभाग, आईटीआरसी, लखनऊ	—अध्यक्ष, पर्यावरण गुणवत्ता
2. डॉ. सरिता सिन्हा, वैज्ञानिक ई-II और ग्रुप लीडर इकोटोक्सीकोलोजी और नेशनल बोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ-226001	—सदस्य, जोखिम आकलन और पर्यावरण गुणत्ता
3. डॉ. एस. पी. शर्मा, सहायक प्रोफेसर (सिविल), इन्स्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, लखनऊ, टाइप IV-ए/8, आईईटी कैम्पस, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021	—सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया, पर्यावरण गुणवत्ता
4. डॉ. राजीव कुमार श्रीवास्तव, सहायक प्रोफेसर, पर्यावरणीय विज्ञान विभाग, जी. बी. पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एण्ड टैक्नोलॉजी, पंत नगर, जिला यू.एस.नगर, उत्तराखण्ड	—सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया पर्यावरण गुणवत्ता, जोखिम आकलन
5. डॉ. धर्मेन्द्र सिंह सिंगार, प्रोफेसर कानूनी प्रबंध, अध्यक्ष, कानूनी प्रबंध समूह, आईआईएम लखनऊ-226013	--सदस्य, परियोजना प्रबंध
6. डॉ. सुशील कुमार (उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ से मुख्य पर्यावरण अधिकारी के पद से अवकाश प्राप्त) 437, एन-I	—सदस्य, पर्यावरण गुणवत्ता
7. डॉ. उदय मोहन, प्रोफेसर अपग्रेटिड डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसन केजी मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ-226003	—सदस्य, जोखिम आकलन
8. डॉ. कृष्ण गोपाल, अध्यक्ष एक्वेटिक टोक्सीलोजी डिवीजन, इन्डस्ट्रीयल टोक्सीलोजी रिसर्च सेंटर, एम जी मार्ग, पोस्ट बॉक्स संख्या 80, लखनऊ	—सदस्य, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया
9. डॉ. यशपाल सिंह , निदेशक (पर्यावरण) पर्यावरण निदेशालय उत्तर प्रदेश सरकार डॉ. भीमराव अम्बेडकर पर्यावरण परिसर, विनीत खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ-226010	– सचिव

7. अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से तीन वर्ष होगी और एस ई ए सी, उत्तर प्रदेश का प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनर्गठन किया जाएगा ।

8. एस ई ए सी, उत्तर प्रदेश ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगी जो अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 में प्रगणित की जाएं ।

9. एस ई ए सी, उत्तर प्रदेश सामूहिक दायित्व के सिद्धान्त पर काम करेगी। अध्यक्ष, प्रत्येक मामले में एकमत होने का प्रयास करेगा और यदि एकमत नहीं हो सकता तो बहुमत का विचार अभिभावी होगा ।

10. उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, एस ई ए सी गुजरात के सचिवालय के रूप में कार्य करने वाले अभिकरण को अधिसूचित करेगी और यह सभी वित्तीय और संभारिक सहायता, जिसके अंतर्गत स्थान सुविधा, परिवहन भी है और उसके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत ऐसी अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। एस ई ए सी के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक फीस, यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमों के अनुसार संदत्त किया जाएगा ।

[सं. जे.-11013/43/2007-आई ए-II(1)]

रा. आनंदकुमार, सलाहकार

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2007

S.O. 1134(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the Government of India notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority (SEIAA), Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Uttar Pradesh) comprising of three members namely, Chairman, Member and Member-Secretary nominated by the State Government of Uttar Pradesh as under :

1. Prof. Mukesh Sharma, Professor, Department of Civil Engineering, IIT Kanpur, Kanpur- 208016	Chairman, Environment Quality
2 Dr. Kunwar Pal Singh, Scientist & Head, Environmental Chemistry Division, Industrial Toxicology Research Centre, Post Box No. 80, MG Marg, Lucknow	Member, EIA Process, Environment Quality
3. Dr. C. S. Bhatt, Member-Secretary, UP Pollution Control Board, PICUP Bhavan, IIIrd Floor, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow	Member-Secretary

2. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Uttar Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006.

4. The Authority, Uttar Pradesh shall base its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee (SEAC) constituted for the State of Uttar Pradesh in this order.

5. The State Government of Uttar Pradesh shall notify the agency to act as secretariat for the Authority and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions. Sitting Fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance to the Chairman and Member of the Authority shall be paid by the State Government of Uttar Pradesh as per State rules.

6. To assist the said Authority, the Central Government, in consultation with the State Government of Uttar Pradesh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal Committee, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as SEAC), which shall comprise the following Members :

1.	Dr. S. K. Bhargav, Deputy Director and HOD Environment Monitoring Division, ITRC, Lucknow	Chairman, Environment Quality
2.	Dr. Sarita Sinha, Scientist E II and Group Leader, Ecotoxicology and Bioremediation, National Botanical Research Institute, Lucknow-226001	Member, Risk Assessment and Environment Quality
3.	Dr. S.P. Sharma, Asst. Professor (Civil), Institute of Engineering & Technology, Lucknow, Type IV A/8, IET Campus, Sitapur Road, Lucknow- 226 021	Member, EIA Process, Environment Quality
4.	Dr. Rajeev Kumar Srivastava, Asst. Professor, Deptt. of Environmental Sciences, G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pant Nagar, Distt. U.S. Nagar, Uttarakhand	Member, EIA Process, Environment Quality, Risk Assessment
5.	Dr. Dharmendra Singh Sengar, Professor of Legal Management, Chairman, Legal Management Group, IIM, Lucknow- 226 013	Member, Project Management
6.	Dr. Sushil Kumar (Retd. From UP Pollution Control Board, Lucknow as Chief Env. Officer), 437, N1, Aliganj, Lucknow	Member, Environment Quality

7. Dr. Uday Mohan, Professor, Upgraded Deptt. of Community Medicine, K.G. Medical University, Lucknow- 226003	Member, Risk Assessment
8. Dr. Krishna Gopal, Head, Aquatic Toxicology Division, Industrial Toxicology Research Centre, M. G. Marg, Post Box No. 80, Lucknow	Member, EIA Process
9. Dr. Yashpal Singh, Director (Environment) Environment Directorate, Govt. of UP Dr. Bhimrao Ambedkar Paryavaran Parisar, Vineet Khand, 1- Gomti Nagar, Lucknow- 226010	Secretary

7. The Chairman and Members shall have the term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette and SEAC, Uttar Pradesh shall be reconstituted after every three years.

8. The SEAC, Uttar Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the notification number S.O. 1533(E) dated the 14th September, 2006.

9. The SEAC, Uttar Pradesh shall function on the principle of collective responsibility. The Chairperson shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. The State Government of Uttar Pradesh shall notify the agency to act as secretariat for the SEAC, Uttar Pradesh and shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect to all its statutory functions. Sitting Fee, Travelling Allowance/Dearness Allowance, to the Chairman and Members of the SEAC shall be paid by the State Government of Uttar Pradesh as per State rules.

[No. J-11013/43/2007-IA.II(I)]

R. ANANDAKUMAR, Advisor

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.